[redacted] उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

संख्या :– 9 / 2017(राजस्व वाद)

दायर दिनांक– 3.10.2016
निर्णय दिनांक – [illegible]

अनवान

1– धुलजी पिता रावजी मीणा निवासी कसारिया
2– भूरजी पिता हरजी मीणा निवासी कसारिया
[redacted]क्ष्मण पिता हरजी मीणा निवासी कसारिया तहसील गलियाकोट

(वादीगण)

बनाम

1– भाणजी पिता रावजी मीणा निवासी कसारिया
2– रामजी पिता रावजी मीणा निवासी कसारिया
3–गेंदाल पिता रावजी मीणा निवासी कसारिया
4– हाजा पिता धुला मीणा निवासी कसारिया
5– बापू पिता धुला मीणा निवासी कसारिया
6– नरेश पिता रूपजी मीणा अवयस्क जरिये माता व कुदरती संरक्षक श्रीमती तुलसी बेवा रूपजी मीणा निवासी कसारिया
7– विनोद पिता रूपजी मीणा अवयस्क जरिये माता व कुदरती संरक्षक श्रीमती तुलसी बेवा रूपजी मीणा निवासी कसारिया
8– कता पुत्री रूपजी मीणा अवयस्क जरिये माता व कुदरती संरक्षक श्रीमती तुलसी बेवा रूपजी मीणा निवासी कसारिया
[redacted] तुलसी बेवा रूपजी मीणा अवयस्क जरिये माता व कुदरती संरक्षक श्रीमती तुलसी बे[illegible] रूपजी मीणा निवासी कसारिया
10– राज्य सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार गलियाकोट ।

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण – श्री मयंक दोसी

वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 136 राज०ल०रे०एक्ट एवं धारा 88,188,209 राज०टि०एक्ट

निर्णय

वाद वादीगण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित पेढीनामा के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 गांव कसारिया के निवासी है

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी,सागवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

के वादीगण संख्या 2 व 3 चचेरे भाई है। वादी संख्या 1 के पिता श्री रावजी व
ख्या 2 व 3 के पिता श्री हरजी आपस में सगे भाई थे जो रावजी व हरजी के
ाते की मौजा कसारिया की खसरा नम्बर 184 की रकबा एक बीघा चार बिस्वा
थी जिसका संवत 2015के बन्दोबस्त में नवीन खसरा नम्बर 178 रकबा 1 बीघा 4
पडा । वक्त सेटलमेण्ट राजस्व विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रेकार्ड
विष्ठि में परिवर्तन कर खसरा नम्बर 178 की रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जमीन रावजी ,धुला
चमना मीणा निवासी कसारिया के नाम उर्ज दर्ज कर ली जबकि उस पर वादीगण के
ी काबिज थे इसके बाद संवत 2027 के सेटलमेण्ट खसरा नम्बर 178 की रकबा एक
। चार बिस्वा जमीन का नवीन नम्बर 308 पडा । रावजी धूला पिसरान चमना मीणा
ासी कसारिया की मृत्यु के बाद खसरा नम्बर 308 की रकबा एक विघा चार बिस्वा जमीन
के वारिसान संख्या 1 से 9 राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई । राजस्व विभाग का उक्त कृत्य
धि विरूद्ध था उन्हें वक्त सेटलमेण्ट पूर्व की प्रविष्ठियों को दोहराना होता है बिना किसी
क्षम प्राधिकारी आदेश के उन्हें राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन करने का या मूल खसरानम्बर
4 की भूमि रावजी धूला पिता चमना के नाम से व बाद में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के
म दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था । जिससे राजस्व कर्मियों की उक्त कार्यवाही
रम्भ से ही वादीगण के हितों के विरूद्ध शून्य व बेअसर है । यह कि मोके पर वर्तमान
सरा नम्बर 308 की रकबा एक बिघा चार बिस्वा भूमि पर वादीगण का अपने पिता व दादा
समय से शान्तिपूर्वक तरीके से निरन्तर बिना किसी रूकावट के कब्जा चला आ रहा है ।
ह कि वादीगण को राजस्व रेकार्ड में हुई त्रूटि को दुरस्त कर खसरा संख्या 308 की एक
घा चार बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण सख्या 1 से 9 का नाम इसके
ातेदार के रूप मे हटाया जाना आवश्यक है । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 का नाम राजस्व
ार्ड में बतौर खातेदार दर्ज होने का फायदा उठाकर खसरा नम्बर 308 की भूमि पर
रना चाहते हैं जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर
क्त आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखल देने से रोका जाना आवश्यक है।
ादीगण खसरा संख्या 308 की एक बिघा चार बिस्वा भूमि के खातेदार के रूप में दर्ज व
अधिकारी है । वादी संख्या 1 का उक्त भूमि में 1/2 व वादीगण संख्या 2 एवं 3 का इसमें
1/2 हिस्सा है इसी अनुरूप वे अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

वादीगण ने वाद के अन्त में मौजा कसारिया के वर्तमान खसरा नम्बर 308 की रकबा
एक बिघा चार बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित करने ,प्रतिवादी संख्या 1 से 9
का नाम उक्त खसरे के खातेदार के रूप में हटाया जाने ,वादीगण को खसरा नम्बर 308 की
रकबा एक बिघा चार बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित कर रेकार्ड में अमल दरामद कर वादी
संख्या 1 को उक्त भूमि का 1/2 व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 3 को उक्त आराजी के 1/2
हिस्से के खातेदार के रूप में दर्ज करने , प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के विरूद्ध मौजा

फोटो प्रति प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी,सागवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

नम्बर 308 की रकबा एक बिघा चार बिस्वा भूमि पर किसी प्रकार के
का व इस पर से वादीगण को बेदखल का प्रयास नहीं किए जाने स्थाई
किए जाने का निवेदन किया गया है ।

गण द्वारा वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र के साथ
ाता संख्या 86/81 संवत 2069–72 की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए
दिनांक 22.11.2017 को प्रतिवादीगण एंव वकील प्रतिवादीगण हाजीर अदालत नहीं होने
उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाकर वादी की एक पक्षीय साक्ष्य
की गई । वकील वादी ने वादी धुलजी के बयान कलम बद्ध करा दस्तावेज प्रदर्श
कराए । वकील वादी ओर साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते हैं अतः वकील वादी की एक पक्षीय
बहस समायत की गई ।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि रावजी और हरजी दो भाई थे जिनके नाम पर आराजी नम्बर 184 की एक बीघा चार बिस्वा भूमि थी । संवत 2015 के भूप्रबन्ध में इसका नया नम्बर 178 और संवत 2017 में नया नम्बर 308 पडा । भूप्रबन्ध को टाईटल बदलने का कोई अधिकार नहीं था वकील वादी ने बहस के दौरान हमारा ध्यान प्रदर्श 1 जो कि खाता संख्या 86/81 मौजा कसारिया की जमाबन्दी संवत 2069–72 है की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि वर्तमान में खातेदारान के स्थान पर भाणजी ,रामजी ,गेंदाल पिता रावजी 1/2 ,हाजा ,बापू पिता धूला काली बेवा धूला ,नरेश विनोद कला पिता रूपजी तुलसी बेवा रूपरी 1/2 दर्ज रेकार्ड है प्रदर्ष– 2जो कि संवत 2008 जमाबन्दी सेटलमेण्ट है में खाता संख्या 30 में रावजी हरजी पिता पेना भील दर्ज है । प्रदर्श –3 जो कि फर्द तुलनात्मक है के अनुसार आराजी नम्बर 184 का नया नम्बर 178 एवं प्रदर्श – 5 अनुसार आराजी नम्बर 178 का नया नम्बर 308 पड़ा है प्रदर्श 4 जो कि संवत 2022 की सेटलमेण्ट जमाबन्दी है मे खातेदार के स्थान पर रामजी धूला पिता चमना दर्ज है । वकील वादी ने बताया कि उक्त संवत 2022 मे खातेदार के स्थान पर अंकन गलत हो गया है जो कि वादी दुरस्त कराने का अधिकारी होकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाय ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 से प्रदर्श 5 के अनुसार संवत 2022 में रावजी धुला पिता चमना का नाम गलत दर्ज होना प्रमाणित होता है । यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि प्रतिवादीगण की ओर से इस अंकन सम्बन्धि दौराने वाद न तो कोई जवाब प्रस्तुत किया है एवं न ही कोई ठोस प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत पेढीनामा एंव दस्तावेज के अनुसार वाद वादी स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर वादीगण को मौजा कसारिया के खात

प्रमाणित प्रति

उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

/81 जमाबन्दी संवत 2069-72 के खसरा नंबर 308 रकबा एक बिघा चार बिस्वा
दार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 का नाम हटाया जाने व वादी
/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्से के खातेदार दर्ज किए जाने का
दिया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा
की जाती है कि वादीगण की उक्त आराजी में
किसी प्रकार का अतिक्रमण व वादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें ।

डिक्री पर्चा जारी हो । वाद व्यय फरिकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 19/12/18 को खूले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल
नुसार हो नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल अग्निहोत्री)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी,सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(आ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सागवाडा

श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

श्री धुलजी पिता रावजी मीणा बनाम श्री भाणजी पिता रावजी मीणा वगैरा

वगैरा निवासी कसारिया निवासी कसारिया

दावा – दावा अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज0टि0एक्ट एवं 136 राज0ले0रे0एक्ट

मुकदमा नंबर – 8/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 मिनजजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर वादीगण को मौजा कसारिया के खाता संख्या 86/81 जमाबन्दी संवत 2069–72 के खसरा नंबर 308 रकबा एक बिघा चार बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 का नाम हटाया जाने व वादी का 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्से के खातेदार दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण की उक्त आराजी में किसी प्रकार का अतिक्रमण व वादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें । नीज.....

.....मुबलिग..... बाबत .....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख

वसूलयाबी तक ..... का अदा करें ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19 मास 02 सन् 2018 को जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

मुद्धई	रूपया	पै0	मुद्धायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत ईजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील [kpkZ xokgku फीस कमिश्नर बाबत ईजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner